न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 162/2021
आरसीएमएस नं0 2021/00162
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

1. मक्खन सिंह पुत्र. स्व0 उत्तमसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. जोगेन्द्र सिह पुत्र स्व0 हाकम सिह जाति रायसिख निवासी 24 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये वादमित्र बलविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति रायसिख निवासी 24 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ
2. बुल्लो बाई पुत्री स्व0 उत्तम सिंह
3. शीलो बाई पुत्री स्व0 उत्तम सिंह
4. बन्तो बाई पुत्री स्व0 उत्तम सिंह
5. कलवन्ती बाई पुत्री स्व0 उत्तम सिंह

जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

6. जीत सिंह पुत्र स्व0 श्री हाकम सिंह
7. दर्शन सिंह पुत्र स्व0 करतार सिंह
8. श्याम सिंह पुत्र स्व0 करतार सिह
9. रेशम सिह पुत्र स्व0 करतार सिह
10. जरनैल सिंह पुत्र स्व0 करतार सिंह
11. औमप्रकाश पुत्र स्व0 करतार सिंह

जाति रायसिख निवासी 24 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।

12. श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.09.2021

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ।

प्रकरण संख्या 111/2021 बअनवान जोगेन्द्र सिंह बनाम मक्खन सिंह आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री विनोद सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 ता 11

श्री रविन्द्र भोबिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 12

निर्णय दिनांकः- 29.08.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन कियाकि कि प्रार्थी मंदबुद्धि एवं गूंगा व्यक्ति है जो अविवाहित है एवं अक्सर बीमार रहता है। प्रार्थी वर्तमान में अपने भतीजे के लड़के बलविन्द्र सिह के साथ रहता है जो उसकी देखभाल करता है। प्रार्थी के पिता स्व0 हाकमसिंह के 30 बीघा कृषि भूमि आवंटित हुई थी। इस 30 बीघा में से 15 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता स्व0 हाकम सिंह पुत्र गहनासिंह के नाम आवंटित हुई थी एवं शेष 5 बीघा भूमि उत्तमसिंह के नाम आवंटित हुई थी। खाता संख्या 104/01 की 15 बीघा भूमि हाकमसिंह को आवंटित हुई थी उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 112/319 की 15 बीघा भूमि हाकमसिंह के पुत्र उत्तमसिंह के नाम दर्ज हुई जो उत्तमसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज है। घरू बंटवारा एवं पंचायत में मक्खन सिंह द्वारा प्रार्थी की हक व हिस्सा की कृषि भूमि देखभाल व भरण पोषण दवाई पानी की एवज में स्वयं के पास रखी गई, जो की चक 24 एसएसडब्ल्य के प. नं. 116/319 मु0 नं0 58 किला नं. 7, 8, 9, 11 ता 14, 17 ता 24 कुंल 3.795 है0 भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बनता है जिसको रहन बेय अन्तरित नही करने का निवेदन करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का कथन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रश्नगत भूमि भूमि मक्खन सिंह के पिता उत्तम को आवंटित है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं मौका पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का चला आ रहा है। वह प्रश्गनत भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्गनत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त 15 बीघा भूमि अपीलांट के पिता उत्तम सिह को श्यामा टीनेंट सूरेवाला का सदस्य होने के कारण आवंटित हुई थी जिसमकें समस्त किश्तें अपीलांट के पिता द्वारा अदा की गई थी व अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल उत्तमसिंह के वारिसान के नाम दर्ज हुआ। इस भूमि में जोगेन्द्र सिह का कोई हक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 मंदबृद्धि व्यक्ति होने क कारण बलविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिह को जो कि वादमित्र के रूप में वाद प्रस्तुत किया है, रेस्पोडेण्ट सं0 1 को बरगला कर मुगालते में रखते हुए गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है। रेस्पोडेण्ट के नाम चक 24 एसएसडब्ल्यू के खाता सं0 104/01 की 15 बीघा भूमि जो रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम दर्ज है जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुई है इसी की हद तक अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अपीलाण्ट की भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी मंदबुद्धि एवं गूंगा व्यक्ति है जो अविवाहित है एवं अकसर बीमार रहता है। प्रार्थी वर्तमान में अपने भतीजे के लड़के बलविन्द्र सिह के साथ रहता है जो उसकी देखभाल करता है। प्रार्थी के पिता स्व0 हाकमसिंह के 30 बीघा कृषि भूमि आवंटित हुई थी। इस 30 बीघा में से 15 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता स्व0 हाकम सिंह पुत्र गहनासिंह के नाम आवंटित हुई थी एवं शेष 5 बीघा भूमि उत्तमसिंह के नाम आवंटित हुई थी। खाता संख्या 104/01 की 15 बीघा भूमि हाकमसिंह को आवंटित हुई थी उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 112/319 की 15 बीघा भूमि हाकमसिंह के पुत्र उत्तमसिंह के नाम दर्ज हुई जो उत्तमसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। घरू बंटवारा एवं पंचायत में मक्खन सिंह द्वारा प्रार्थी की हक व हिस्सा की कृषि भूमि देखभाल व भरण पोषण दवाई पानी की एवज में स्वयं के पास रखी गई जो की चक 24 एसएसडब्ल्य के प. नं. 116/319 मु0 नं0 58 किला नं. 7, 8, 9,1 ता 14, 17 ता 24 कुंल 3.795 है0 भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बनता है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. शेष रेस्पोडेण्ट के अधिवक्तागण ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. विचारण न्यायालय के समक्ष मृतक रेस्पोडेण्ट जोगेन्द्र सिह पुत्र हाकम सिंह की तरफ से जरिये वादमित्र बलविन्द्र पुत्र दर्शन सिंह ने हाकम सिंह पुत्र गहना सिंह को आवंटन शुदा भूमि चक 24 एस.एस.डब्ल्य. प0 नं0 116/318 मु. नं. 48 किला नं. 12 ता 25 व प. नं. 116/319 प0 नं0 116/318 किला नं. 1 ता 10 की कुल 3.795 है0 अर्थात 15 बीघा जो स्व0 हाकम सिह को आवंटन हुई थी व उक्त भूमि वर्तमान में हाकम सिंह के वारीसान के नाम दर्ज है, जिसमें मृतक रेस्पो0 जोगेन्द्र सिह का नाम भी अंकित है। उक्त भूमि के अतिरिक्त चक 24 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 116/319 मु. नं. 59 किला नं. 11 ता 25 की 3.795 है0 अर्थात 15 बीघा भूमि जो अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 को आवंटन हुई थी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था व विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। अपील में जोगेन्द्र सिह की मृत्यु के पश्चात् बलविन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जो कि मृतक जोगेन्द्र सिह के भाई का लड़का है बतौर वसीयती उतराधिकारी अपील में बतौर रेस्पोडेण्ट पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जो पूर्व में ही खारिज किया जा चुका है। अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी है व अन्य रेस्पोडेण्ट तामील के बावजूद भी उपस्थिति नही आये हैं। अपीलाधीन आदेश में वर्णित वादग्रस्त भूमि चक 24 एसएसडब्ल्यू खाता सं0 104/01 प. नं. 116/318 मु0 नं0 48 किला नं. 21 ता 25 व 116/319 मु. नं. 58 किला नं. 1 ता 10 कुल 3.795 है0 अर्थात 15 बीघा भूमि अपीलाण्ट के दादा हाकमसिंह को आवंटन हुई थी व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारीस करतार सिह, जीत सिंह , जोगेन्द्र सिह पुत्र हाकम सिंह व गुलाबो बाई पत्नी उत्तम सिह,

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मक्खन सिंह, शीलो बाई, बन्तो बाई, कलवन्तो बाई व बुलाबाई पुत्रियॉ उत्तम सिंह के नाम दर्ज है। अर्थात उक्त भूमि आवंटी हाकम सिंह के वारिसान के नाम दर्ज है व मृतक रेस्पोडेण्ट जोगेन्द्र सिह का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे अन्य कोई भी सह काश्तकार रहन व विक्रय नहीं कर सकते हैं। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 5 को आवंटन शुदा भूमि चक 24 एसएसडब्ल्यू खाता सं0 112/83 प. नं. 116/319 मु. नं. 58 किला नं. 11 ता 25 की 3.795 है0 भूमि विचारण न्यायालय में संलग्न जमाबंदी के अनुसार अपीलाण्ट मक्खन सिंह व बुलोबाई पुत्री उत्तम सिंह रेस्पोडेण्ट सं0 2 के ना दर्ज है। उक्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 5 को आवंटन हुई थी व उन्हीं के नाम दर्ज है जो उनकी स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। इसलिए मृतक रेस्पो0 जोगेन्द्र सिह का प्रथम दृष्टया कोई हक व हिस्सा होना साबित नही होता है। विचारण न्यायलाय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य बनता है व अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य बनती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2021 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/8/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़